न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 26/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

रिलायंस एसेट री–कन्सट्रेक्शन कम्पनी लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय 11वी मंजिल, नोर्थ साइड, आर–टेक पार्क वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (ईस्ट), मुम्बई–400063

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **हरि शंकर शर्मा पुत्र प्रभु दयाल शर्मा,** पता–वार्ड नम्बर 07, रामगढ, दांता रामगढ़, सीकर, राजस्थान–332703
2. **सावित्री देवी पत्नी प्रभु दयाल शर्मा,** पता–वार्ड नम्बर 07, रामगढ़, दांता रामगढ़, सीकर, राजस्थान–332703
3. **प्रभु दयाल पुत्र पोखर मल,** पता–वार्ड नम्बर 07, रामगढ़, दांता रामगढ़, सीकर, राजस्थान–332703?
4. **दिनेश कुमार पुत्र प्रभु दयाल,** पता–वार्ड नम्बर 07, रामगढ, दांता रामगढ, सीकर, राजस्थान–332703
5. **पिन्टु कुमार पुत्र प्रभु दयाल,** पता– 517 क, नई बस्ती, कुमावतान, दांता रामगढ़, सीकर, राजस्थान–332703
6. **बजरंग लाल मोरवाडिया पुत्र पोखरमल,** पता–पुरोहितो की ढाणी, वार्ड नम्बर 2, दांता, सीकर, राजस्थान–332702

–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

दिनांक: 17.10.2024

1. प्रार्थी वितीय संस्था के अधिवक्ता **श्री विक्रम सिंह** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 क्रमशः **हरि शंकर शर्मा पुत्र प्रभु दयाल शर्मा, सावित्री**

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

देवी पत्नी प्रभु दयाल शर्मा, प्रभु दयाल पुत्र पोखर मल, दिनेश कुमार पुत्र प्रभु दयाल, पिन्टु कुमार पुत्र प्रभु दयाल एवं **बजरंग लाल मोरवाडिया पुत्र पोखरमल** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **सावित्री देवी पत्नी प्रभु दयाल शर्मा** के स्वामित्व की बंधक आवासीय सम्पत्ति **खसरा नम्बर 7/2, रकबा 0.20 हैक्टेयर में से 1224 वर्गमीटर, धोलासरी, रामगढ़, दांतारामगढ़, सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल संपरिवर्तित क्षेत्रफल 1224 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में श्योदान सिंह राजपूत, दक्षिण दिशा में रास्ता, पूरब दिशा में लालचन्द की जमीन एवं पश्चिम दिशा में लक्ष्मीचन्द की जमीन है। उक्त सम्पत्ति को बंधक **रू. 8,00,000/– रूपये (अक्षरे रूपये आठ लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **29.09.2023** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। ऋणी/अप्रार्थीगणों की ओर से वकील **श्री महेश कुमार पटेल** उपस्थित आये एवं जवाब पेश किया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **29.09.2023** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 क्रमशः **हरि शंकर शर्मा पुत्र प्रभु दयाल शर्मा, सावित्री देवी पत्नी प्रभु दयाल शर्मा, प्रभु दयाल पुत्र पोखर मल, दिनेश कुमार पुत्र प्रभु दयाल, पिन्टु कुमार पुत्र प्रभु दयाल** एवं **बजरंग लाल मोरवाडिया पुत्र पोखरमल** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **सावित्री देवी पत्नी प्रभु दयाल शर्मा** के स्वामित्व की बंधक आवासीय सम्पत्ति **खसरा नम्बर 7/2, रकबा 0.20 हैक्टेयर में से 1224 वर्गमीटर, धोलासरी, रामगढ़, दांतारामगढ़, सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल संपरिवर्तित क्षेत्रफल 1224 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– उत्तर दिशा में श्योदान सिंह राजपूत, दक्षिण दिशा में रास्ता, पूरब दिशा में लालचन्द की जमीन एवं पश्चिम दिशा में लक्ष्मीचन्द की जमीन है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक 17.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

मुकुल शर्मा
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)